


503/2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही अथ इतिशियल्य जज
24/12/2017	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। श्रे विप्रार्थी एकपक्षीय। उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दरतावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद बंटवाड़ा एवं रथाई निष्ठाजा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण/वादीगण माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्व्यथा मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। लेकिन स्थगन आदेश से दोनो पक्षो को पाबंद किया जाना उचित रहेगा। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्व्यथा मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.11.2017 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से. कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा </p> <p style="text-align: center;">24/12/2017</p>

हस्ताक्षर